188

पुनर्विनियोग/आयोजनागत

संख्या–243/III(3)/2012–01(सी.आर.एफ.)/2012

प्रेषक,

धीरेन्द्र सिंह दताल,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–3 देहरादूनः दिनांकः 15 मार्च, 2013

विषय– वित्तीय वर्ष 2012–13 में केन्द्रीय सड़क निधि योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन कार्यों हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि अवमुक्त किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1193/15 बजट (के0स0नि0)/2012–13, दिनांक 31.01.2013, के सन्दर्भ में एवं शासनादेश सं0–218/III(3)/12-01(सी0आर0एफ0)/12 दिनांक 28.05.2012, शासनादेश संख्या–434/III(3)/12-01(सी0आर0एफ0)/12 दिनांक 12.09.2012 तथा शासनादेश सं0–34/III(3)/13-01(सी0आर0एफ0)/12 दिनांक 16.01.2013, के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2012–13 में विभाग की शत प्रतिशत केन्द्र पोषित योजना, इण्टर स्टेट कन्टेविटी की सम्भावित बचत में से संलग्न बी0एम0–09 (भाग–एक) के विवरणानुसार ₹ 500.00 लाख (₹ पॉच करोड़ मात्र) की धनराशि व्यावर्त्तित कर केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत स्वीकृत/निर्माणाधीन कार्यों हेतु आपके निर्वतन पर रखते हुए व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

(i) स्वीकृत की जा रही धनराशि का योजनावार आंवटन कर सूचना 15 दिन के भीतर शासन को उपलब्ध करायी जायेगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण यथा आवश्यकता ही किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि अनुमोदित लागत के विपरीत अधिक धनराशि किसी भी स्थिति में आहरित कर उपयोग न की जाय। अन्यथा की स्थिति में इसका समस्त दायित्व विभागाध्यक्ष का ही माना जायेगा।

(ii) स्वीकृत की जा रही धनराशि के विपरीत प्रतिपूर्ति हेतु भारत सरकार को धनराशि का उपयोग कर तत्काल उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रेषित कर प्रतिपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी।

(iii) उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग केवल स्वीकृत सड़को के निर्माण पर ही किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करके निर्धारित समयान्तर्गत वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण तथा उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन/भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा, यदि पूर्ण धनराशि के उपयोग के दो माह के अन्दर उपयोगिता प्रमाण–पत्र भारत सरकार को भेजना सुनिश्चित नहीं करने के कारण भारत सरकार से प्रतिपूर्ति में विलम्ब होता है तो इसका समस्त दायित्व सम्बन्धित अभियन्ता का होगा।

(iv) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनके व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। निर्माण कार्य पर व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ–साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम अधिकारी की टैक्निकल स्वीकृति भी अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(v) स्वीकृत की जा रही धनराशि का भारत सरकार द्वारा निर्धारित भौतिक/वित्तीय प्रगति के लक्ष्य के अनुरूप इस धनराशि का उपभोग भी वित्तीय वर्ष में दिनांक 31.03.2013 तक कर लिया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्वता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियंता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगें।

(vi) व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी शासनादेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(vii) उक्त कार्य करते समय भारत सरकार द्वारा निर्देशों का अनुपालन भी किया जायेगा। व्यय अनुमोदित दरों पर ही किया जायेगा। कार्य निर्धारित समय में ही किया जायेगा और विलम्ब के लिये या लागत वृद्धि के लिए सम्बन्धित अभियंता उत्तरदायी होंगे।

(viii) स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2013 तक पूर्ण उपयोग सुनिश्चित कर लिया जाय और उक्त धनराशि के विपरीत मासिक व्यय का विवरण भारत सरकार को प्रेषित किया जायेगा।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–22 के लेखा शीर्षक–5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय–04 जिला तथा अन्य सड़कें–आयोजनागत–800–अन्य व्यय–01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें–05 केन्द्रीय सड़क निधि से किया गया कार्य(100 प्रतिशत के0स0)–24 वृहत निर्माण कार्य के नामें डाला जायगा।

3– उक्त स्वीकृत ₹ 500.00 लाख (₹ पॉच करोड़ मात्र) की धनराशि का आवंटन इन्टरनेट के माध्यम से संलग्न विवरणानुसार अलोटमेन्ट आई0डी0 सं0–S1303220203 दिनांक 14.03.2013 द्वारा आपको आवंटित कोड सं0–4227 Chief Engineer PWD में कर दिया गया है। तद्नुसार अपर मुख्य सचिव, वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश दिनांक 28 मार्च, 2012 एवं शासनादेश दिनांक 30 मार्च, 2012 में निर्धारित शर्तो एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र सं0–961/XXVII(2)/2012 दिनांक 13 मार्च, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

संलग्नक–यथोपरि

भवदीय

(धीरेन्द्र सिंह दताल)
उप सचिव।

संख्या– 243(1)/III(3)/2012 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. आयुक्त गढ़वाल/कुमायूं मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
3. समस्त जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. सम्बन्धित मुख्य/अधीक्षण/अधिशासी अभियंता, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड।
8. वित्त अनुभाग–2/नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
9. लोक निर्माण अनुभाग 1 व 2, उत्तराखण्ड शासन।
10. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(महिमा)
अनु सचिव।

संलग्नक–1

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–2
संख्या– 961(1)/वित्त अनुभाग–2/2012
देहरादूनः दिनांकः 13 मार्च, 2013

पुर्नविनियोग स्वीकृत।

(आर0सी0 अग्रवाल)
अपर सचिव।

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
उत्तराखण्ड, ओबराय भवन,
माजरा, देहरादून।

संख्या–243(1)/III(3)/12–01(सी0आर0एफ0)/2012, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी।
2– वित्त अनुभाग–2/नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
3– गार्ड फाईल।

(धीरेन्द्र सिंह दताल)
उप सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
(वित्तीय वर्ष 2012-2013)
बी .एम. - 15

अनुदान संख्या - 022
पुनर्विनियोग स्वीकृति आदेश संख्या - 243/III(3)/13-01(CRF)/2012

अलोटमेंट आईडी - R1303220181
दिनांक - 14-Mar-2013

(In Rupees)

क्रम संख्या	बजट प्राविधान तथा लेखासिर्शक (1)	मानक मदवार अध्यावधिक व्यय (2)	वित्तीय वर्ष के अवधि में अनुमानित व्यय (3)	अवशेष सरप्लस समायोजित धनराशी (4)	लेखाशीर्षक जिसमे धनराशी स्थानान्तरित की जानी हे (5)	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ -5 की कुल धनराशी (6)	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ -1 में कुल धनराशी (7)	अभियुक्ति
	5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 04 जिला तथा अन्य सड़के 800 अन्य व्यय 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधा 04 इन्टर स्टेट कनेक्टिविटी योजना (100% (Plan Voted)				5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत पि 04 जिला तथा अन्य सड़के 800 अन्य व्यय 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पु 05 केन्द्रीय सडक निधि से किया गया (Plan Voted)			
1	24 - वृहत् निर्माण कार्य 50000000	0	0	50000000	24 - वृहत निर्माण कार्य 50000000	650000000	0	

प्रमाणित किया जाता है कि पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के परिच्छेद 150,151,155,156 में उल्लिखित प्राविधानो एवं सीमाओ का उल्लंघन नही होता है।

पुनर्विनियोग किये जाने हेतु प्रपत्र 15 की मूल प्रति वित्तीय डाटा सेण्टर 23- लक्ष्मी रोड डालनवाला ,देहरादून को उपलब्ध करायी जाय

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20122013

Secretary, PWD (S038)

आवंटन पत्र संख्या - 243/III(3)/13-01(CRF)/12

अनुदान संख्या - 022

अलोटमेंट आई डी - S1303220203

HOD Name - Chief Engineer PWD (4227)

आवंटन पत्र दिनांक - 14-Mar-2013

1: लेखा शीर्षक - 5054 - सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय

04 - जिला तथा अन्य सड़के

800 - अन्य व्यय

05 - केन्द्रीय सडक निधि से किया गया कार्य (100 %के

01 - केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योज

Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
24 - वृहत निर्माण कार्य	600000000	50000000	650000000
	600000000	**50000000**	**650000000**

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 50000000

(धीरेन्द्र सिंह दताल)
उप सचिव
लोक निर्माण विभाग
उत्तराखण्ड शासन